

Chapter-15: संविधान का निर्माण

संविधान सभा का निर्माण :-

- संविधान सभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। सदस्य प्रांतीय विधायिका द्वारा चुने गए थे। कांग्रेस में संविधान सभा का वर्चस्व था।
- मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि वह अलग संविधान और अलग राज्य चाहती थी।
- हालांकि सदस्य ज्यादातर कांग्रेस से थे, लेकिन इसके सदस्यों के विचार और राय विविध थे। संविधान सभा में, विभिन्न विचारों और प्रस्तावों के बारे में सदस्यों के बीच गहन बहस हुई।
- संविधान सभा के भीतर गहन चर्चा भी जनता की राय से प्रभावित थी। जनता से उनके विचारों और विचारों को भेजने के लिए भी कहा गया।
- भाषाई अल्पसंख्यकों ने अपनी मातृभाषा के संरक्षण के लिए कहा , धार्मिक अल्पसंख्यकों ने विशेष सुरक्षा उपायों की मांग की। जबकि दलितों ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में जाति के दमन और आरक्षण को समाप्त करने के लिए कहा।

संविधान सभा में प्रमुख आवाजें :-

- संविधान सभा के सभी 300 सदस्यों में से , पं० नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बीआर अंबेडकर, आईसीएम मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जैसे कुछ सदस्यों का उल्लेखनीय योगदान था। पं० जवाहरलाल नेहरू , वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि थे।
- पं० जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव के साथ - साथ महत्वपूर्ण " उद्देश्य संकल्प " को पूरा किया । जबकि वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के साथ बातचीत करके इन रियासतों को भारत में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । उन्होंने कई रिपोर्टों का मसौदा तैयार किया और विरोधी दृष्टिकोण को समेटने के लिए काम किया।
- राजेंद्र प्रसाद ने विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में रचनात्मक लाइनों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाया और यह सुनिश्चित किया कि सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिले।

- डॉ० बीआर अंबेडकर गांधीजी की सलाह पर कैबिनेट में शामिल हुए और कानून मंत्री के रूप में काम किया । वह संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे । केएम मुंशी और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर एक और दो वकील थे जिन्होंने संविधान के प्रारूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

भारतीय संविधान का उद्देश्य :-

- 13 दिसंबर, 1946 को, जवाहरलाल नेहरू ने " उद्देश्य संकल्प " की शुरुआत की । इसने भारत को एक " स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य " घोषित किया । जिसने अपने नागरिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता की गारंटी दी और " अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों, दबे और पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों " का आश्वासन दिया । उद्देश्य संकल्प ने संविधान के आदर्शों को रेखांकित किया और संविधान निर्माण के लिए फ्रेम - वर्क प्रदान किया।
- नेहरू ने अमेरिकी और फ्रांसीसी संविधान और इसके निर्माण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ उनकी नकल नहीं करने जा रहे हैं , इसके बजाय उन्होंने कहा कि इनसे सीखना जरूरी है, ताकि गलतियों से बचा जा सके।
- नेहरू ने कहा कि भारत में स्थापित की जाने वाली सरकार की प्रणाली को हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप होना चाहिए और उन्हें स्वीकार्य होना चाहिए।
- भारतीय संविधान का उद्देश्य आर्थिक न्याय के समाजवादी विचार के साथ लोकतंत्र के उदार विचारों को फ्यूज करना और इन सभी विचारों को भारतीय संदर्भ के भीतर फिर से अनकलित करना होगा।

लोगों की आकांक्षा :-

- कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी ने कहा कि ' हम भारतीयों को ब्रिटिश प्रभावों से मुक्त होने की जरूरत है। ' उन्होंने आगे कहा कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजना के साथ काम कर रही थी।
- नेहरू ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह सच है , ब्रिटिश सरकार ने असेंबली के जन्म और संविधान सभा के कार्यों से जुड़ी स्थितियों में भूमिका

निभाई। लेकिन, उन्होंने यह भी कहा , हम अपने पीछे के लोगों की ताकत की वजह से मिले हैं और जहां तक लोग हमारे साथ जाना चाहते हैं हम जाएंगे।

- उनका मानना था कि असेंबली के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय संविधान सभा द्वारा किया जाता है और प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव भारतीय लोगों द्वारा किया जाता है। इसलिए यहाँ, हम अपने देश के पुरुषों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिये स्मम्भी की अपेक्षा की गई थी। लोकतंत्र, समानता और न्याय ऐसे आदर्श थे जिनकी भारत के लोग आकांक्षा करते हैं।

लोगों के अधिकार :-

लोगों के अधिकारों को परिभाषित करने का तरीका अलग था। विभिन्न समूहों के लोगों द्वारा अलग - अलग मांगें की गईं। इन मांगों, विचारों, विचारों पर बहस हुई, चर्चा हुई और परस्पर विरोधी विचारों को समेटा गया और फिर सामूहिक निर्णय लेने के लिए आम सहमति बनाई गई।

पृथक निर्वाचका समस्या :-

- अलग - अलग मतदाताओं के मुद्दे पर विधानसभा में गहन बहस हुई। बी० पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचन के लिए निरंतरता के लिए शक्तिशाली प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि मतदाता राजनीतिक प्रणाली और देश के शासन में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने में मदद करेंगे। मुस्लिमों की जरूरत को गैर - मुस्लिमों द्वारा नहीं समझा जा सकता है - उन्होंने आगे कहा।
- कई राष्ट्रवादी नेताओं ने धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करने के उपकरण के रूप में पृथक निर्वाचन प्रणाली को देखा और उन्होंने यह भी माना कि इस विचार का अंत देश के विभाजन में हुआ। इसलिए कई नेता इसके खिलाफ थे।
- सरदार पटेल ने दृढ़ता से घोषणा की कि अलग मतदाता एक जहर था जो हमारे देश की राजनीति के शरीर में प्रवेश कर गया है और एक समुदाय को

दूसरे के खिलाफ कर दिया है , जिससे रक्त शोड , दंगे और विभाजन हुए। इसलिए शांति के लिए हमें अलग मतदाताओं को हटाने की जरूरत है ।

- जीबी पंत ने एक बहस में कहा , अलग मतदाता न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी हानिकारक है। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक समुदाय का दायित्व था कि वे अल्पसंख्यकों की समस्या को समझें और उनकी आकांक्षाओं के साथ सहानुभूति रखें। अलग मतदाताओं की मांग अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग - थलग कर देगी और उन्हें कमजोर बनाएगी और इसके अलावा यह उन्हें सरकार के भीतर किसी प्रभावी बात से वंचित करेगा।
- अलग - अलग मतदाताओं के खिलाफ ये सभी तर्क राष्ट्र की एकता पर आधारित थे , जहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक राज्य का नागरिक होता है , और प्रत्येक समूह को राष्ट्र के भीतर आत्मसात होना पड़ता था।
- संविधान नागरिकता और अधिकार प्रदान करेगा , बदले में नागरिकों को राज्य के प्रति अपनी वफादारी की पेशकश करनी थी। समुदायों को सांस्कृतिक संस्थाओं के रूप में मान्यता दी जा सकती है और राजनीतिक रूप से सभी समुदायों के सदस्य राज्य के सदस्य के बराबर हैं।
- 1949 तक , संविधान सभा के अधिकांश मुस्लिम सदस्यों को अलग - अलग मतदाताओं के खिलाफ सहमति दी गई और इसे हटा दिया गया।
- मुसलमानों को यह सुनिश्चित करने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने की आवश्यकता थी कि उनकी राजनीतिक व्यवस्था में निर्णायक आवाज़ हो ।

संविधान का उद्देश्य :-

- एनजी रंगा , एक समाजवादी और किसान आंदोलन के एक नेता ने उद्देश्य संकल्प का स्वागत किया और आग्रह किया कि अल्पसंख्यक शब्द की आर्थिक अर्थों में व्याख्या की जाए। वास्तविक अल्पसंख्यक गरीब और दलित हैं।
- एनजी रंगा ने अपने नागरिक को संविधान द्वारा दिए गए सभी कानूनी और नागरिक अधिकारों का स्वागत किया , लेकिन कहा कि इन अधिकारों का आनंद केवल तभी लिया जा सकता है जब उपयुक्त स्थिति या अवसर

प्रदान किए जाएं। इसलिए गरीबों और दलितों की हालत को बेहतर बनाने और उनकी रक्षा करने के लिए इस संकल्प से कहीं अधिक की जरूरत है।

- रंगा ने भारत की जनता और विधानसभा में उनके प्रतिनिधियों के बीच भारी अंतर के बारे में भी बात की। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य जनता से संबंधित नहीं हैं। लेकिन, वे उन्हें अपने ट्रस्टी, उनके साथी और उनके लिए काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
- आदिवासी, जयपाल सिंह, एक आदिवासी, ने इतिहास के माध्यम से आदिवासी के शोषण, उत्पीड़न और भेदभाव के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने आगे कहा कि जनजातियों की रक्षा करने और प्रावधान करने की आवश्यकता है जो उन्हें सामान्य आबादी के स्तर पर आने में मदद करेंगे।
- जयपाल सिंह ने कहा, उन्हें मुख्यधारा में एकीकृत करने के लिए शारीरिक और भावनात्मक दूरी को तोड़ने की जरूरत है। उन्होंने विधायिका में सीट के आरक्षण पर जोर दिया, क्योंकि यह उनकी मांगों को आवाज देने में मदद करता है और लोग इसे सुनने के लिए मजबूर होंगे।

हमारे देश के अवसादग्रस्त वर्गों के लिए संविधान में प्रावधान :-

- अवसादग्रस्त वर्ग हमारे देश की 20 - 25 % आबादी बनाते हैं, इसलिए वे अल्पसंख्यक नहीं हैं, लेकिन उन्होंने लगातार हाशिए पर जाने का सामना किया है।
- अवसादग्रस्त वर्गों के सदस्यों को व्यवस्थित हाशिए पर रखना पड़ा। सार्वजनिक स्थानों पर उनकी पहुंच नहीं थी, वे विकृत सामाजिक और नैतिक आदेशों के माध्यम से दबा दिए गए थे। अवसादग्रस्त वर्गों की शिक्षा तक कोई पहुँच नहीं थी और प्रशासन में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी।
- अवसादग्रस्त वर्गों के सदस्यों ने अस्पृश्यता की समस्या पर जोर दिया, जिसे सुरक्षा और संरक्षण के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता था। इसे पूरी तरह से हटाने के लिए, इन लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने और समाज में अभिवृत्तिगत परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।
- संविधान ने एक प्रावधान बनाया कि अस्पृश्यता समाप्त कर दिया, हिंदू मंदिरों को सभी जातियों और विधायिका में सीटों के लिए खुला रखा जाए, सरकारी कार्यालयों में नौकरियों को सबसे कम जातियों के लिए आरक्षित

किया जाए। कई लोगों ने माना कि सामाजिक भेदभाव को समाज के भीतर नजरिए में बदलाव के जरिए ही हल किया जा सकता है।

राज्य की शक्तियाँ :-

- केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार के विभाजन के मुद्दे पर तीव्र बहस हुई।
- मसौदा संविधान ने विषय की तीन सूचियाँ प्रदान की अर्थात् संघ सूची - संघ सरकार इस पर कानून बना सकती है। राज्य सूची, राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है और समवर्ती सूची दोनों संघ और राज्य सरकार सूचीबद्ध वस्तुओं पर कानून बना सकती है।
- अधिक मद संघ सूची में सूचीबद्ध हैं। भारत - संघ में सरकार को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाता है ताकि वह शांति, सुरक्षा सुनिश्चित कर सके , और महत्वपूर्ण हितों के मामले में समन्वय स्थापित कर सके और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूरे देश के लिए बात कर सके।
- हालाँकि कुछ कर जैसे कि भूमि और संपत्ति कर, बिक्री कर और बोटलबंद शराब पर कर राज्य द्वारा अपने दम पर वसूले और वसूले जा सकते हैं।

केंद्र और राज्य की शक्तियों पर संथानम का दृष्टिकोण :-

- के संथानम ने कहा कि राज्य को मजबूत बनाने के लिए न केवल राज्य बल्कि केंद्र को भी सत्ता में लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र जिम्मेदारी से आगे बढ़ता है तो यह ठीक से काम नहीं कर सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि राज्य को कुछ शक्तियां हस्तांतरित की जाएं।
- फिर के , संथानम ने कहा कि राज्यों को उचित वित्तीय प्रावधान दिए जाने चाहिए ताकि वे स्वतंत्र रूप से काम कर सकें और उन्हें मामूली खर्च के लिए केंद्र पर निर्भर रहने की आवश्यकता न हो,
- यदि सही तरीके से आवंटन नहीं किया गया तो संथानम और कई अन्य लोगों ने अंधेरे भविष्य की भविष्यवाणी की। उन्होंने आगे कहा कि प्रांत केंद्र के खिलाफ विद्रोह कर सकता है और केंद्र टूट जाएगा, क्योंकि अत्यधिक शक्ति संविधान में केंद्रीकृत है।

मजबूत सरकार की आवश्यकता :-

- विभाजन की घटनाओं से मजबूत सरकार की आवश्यकता को और मजबूती मिली। कई नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू, बीआर अंबेडकर, गोपालस्वामी अय्यंगार आदि ने मजबूत केंद्र की वकालत की।
- विभाजन से पहले कांग्रेस ने प्रांतों को काफी स्वायत्तता देने पर सहमति व्यक्त की थी। इस पर मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने पर सहमति हुई। लेकिन विभाजन के बाद, कोई राजनीतिक दबाव नहीं था और विभाजन के बाद की आवाज ने केंद्रीयकृत शक्ति को और बढ़ावा दिया।

राष्ट्र की भाषा :-

- संविधान सभा में राष्ट्रभाषा के मुद्दों पर महीनों से तीव्र बहस हुई। भाषा एक भावनात्मक मुद्दा था और यह विशेष क्षेत्र की संस्कृति और विरासत से संबंधित था।
- 1930 के दशक तक, कांग्रेस और महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदुस्तानी भाषा को समझना आसान था और भारत के बड़े हिस्से के बीच एक लोकप्रिय भाषा थी। विविध संस्कृति और भाषा के मेल से हिंदुस्तानी का विकास हुआ।
- हिंदुस्तानी भाषा मुख्य रूप से हिंदी और उर्दू से बनी थी, लेकिन इसमें दूसरी भाषा के शब्द भी थे। लेकिन दुर्भाग्य से, भाषा भी सांप्रदायिक राजनीति से पीड़ित हुई।
- धीरे - धीरे हिंदी और उर्दू अलग होने लगी। हिंदी ने संस्कृत के अधिक शब्दों का उपयोग करना शुरू कर दिया, इसी तरह उर्दू और अधिक दृढ़ हो गई। फिर भी, महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी में अपना विश्वास बनाए रखा। उन्होंने महसूस किया कि हिंदुस्तानी सभी भारतीयों के लिए एक समग्र भाषा थी।

हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की दलील :-

- आर.वी.धुलेकर, संविधान सभा के सदस्य ने हिंदी को राष्ट्रभाषा और भाषा बनाने के लिए एक मजबूत दलील दी जिसमें संविधान बनाया जाना चाहिए। इस दलील का प्रबल विरोध हुआ।

- असंबली की भाषा समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उसने यह तय करने की कोशिश की कि देवनागरी लिपि में हिंदी एक आधिकारिक भाषा होगी लेकिन हिंदी दुनिया के लिए संक्रमण एक क्रमिक प्रक्रिया होगी और स्वतंत्रता के बाद शुरुआती 15 वर्षों तक, अंग्रेजी को आधिकारिक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। भाषा : हिन्दी।
- प्रांत के भीतर आधिकारिक कार्यों के लिए प्रांतों को एक भाषा चुनने की अनुमति थी।

हिंदी के प्रभुत्व का डर :-

- संविधान सभा के सदस्य एसजी दुर्गाबाई ने कहा कि दक्षिण भारत में हिंदी के खिलाफ तीव्र विरोध है।
- भाषा के संबंध में विवाद के प्रादुर्भाव के बाद , प्रतिद्वंद्वी में एक डर है कि हिंदी प्रांतीय भाषा के लिए विरोधी है और यह प्रांतीय भाषा और इसके साथ जुड़ी सांस्कृतिक विरासत की जड़ को काटती है।
- उसने हिंदुस्तानी को लोगों की भाषा के रूप में स्वीकार किया था लेकिन भाषा बदली जा रही है। उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हटा दिए गए। यह कदम हिंदुस्तानी के समावेशी और समग्र चरित्र को मिटा देता है, और इसके कारण, विभिन्न भाषा समूहों के लोगों के मन में चिंताएं और भय विकसित होता है।
- कई सदस्यों ने महसूस किया कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के मुद्दे को सावधानी से व्यवहार किया जाना चाहिए और आक्रामक कार्यकाल और भाषण केवल गैर - हिंदी भाषी लोगों में भय पैदा करेगा और इस मुद्दे को और जटिल करेगा। विभिन्न हितधारकों के बीच आपसी समझ होनी चाहिए।